फा.सं.1-33/93-स्था.(भर्ती प्रकोष्ठ)(खंड फाइल)

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान

(भर्ती प्रकोष्ठ)

अंसारी नगर, नई दिल्ली-29
दिनांक:

सूचना

विषय: - एम्स, नई दिल्ली में समूह 'क' (गैर-संकाय), 'ख', 'ग' एवं पूर्ववर्ती समूह 'घ' पदों के कैडर की समीक्षा हेतु यूनियनों, एसोसिएशनों एवं स्टाफ कर्मचारियों के सुझाव/विचार आमंत्रित करने संबंधी।

****

निदेशक महोदय ने डॉ. अनीता सक्सेना, आचार्य, हृदय रोग विज्ञान विभाग की अध्यक्षता में एम्स, नई दिल्ली में समूह 'क' (गैर-संकाय), 'ख', 'ग' एवं पूर्ववर्ती समूह 'घ' पदों की कैडर समीक्षा के लिए कैडर समीक्षा समिति के अंतर्गत एक आंतरिक समिति का गठन किया है। दिनांक 24.07.2020 को समिति की पहली बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में निर्णय लिया गया है कि एम्स, नई दिल्ली में कैडर समीक्षा की प्रक्रिया के दौरान समिति के द्वारा यूनियनों/एसोसिएशनों अथवा उनके प्रतिनिधियों/व्यक्तियों के माध्यम से, जैसा भी मामला हो, प्रत्येक कैडर के सभी सदस्यों के साथ बैठक की जाए।

यह भी निर्णय लिया गया है कि सबसे पहले वर्तमान कैडर संरचना, प्रस्तावित कैडर संरचना, वेतन विसंगति, कैडर विसंगति संबंधी यदि कोई समस्या है तो उसके लिए अभ्यावेदन/अनुरोध आमंत्रित किए जाएं ताकि उक्त समिति द्वारा उनकी समस्या पर व्यक्तिगत रूप से सुनवाई की जा सके और उसका समाधान किया जा सके।

उपर्युक्त निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, सभी संबंधित कर्मचारियों / यूनियनों / एसोसिएशनों (केवल मान्यता प्राप्त) से अनुरोध है कि अपने कैडर की संरचना, कैडर की विसंगतियों संबंधी यदि कोई समस्या है, तो इस संबंध में अपने अभ्यावेदन/अनुरोध पत्र वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, भर्ती प्रकोष्ठ के पास इस सूचना के जारी होने के 15 दिनों के भीतर संलग्न प्रोफार्मा में जमा करा दें। यह भी अनुरोध किया जाता है कि अभ्यावेदन/ अनुरोध पत्र की एक सॉफ्ट कॉपी recruitmentcell@aiims.eduपर भी भेजें।

(हस्ताक्षर)

(बी.एस.गिल)
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

वितरण:-

1. संकायाध्यक्ष, शैक्षिक अनुभाग/अनुसंधान अनुभाग/परीक्षा अनुभाग
2. सभी केंद्रों के प्रमुखगण
3. चिकित्सा अधीक्षक
4. सभी विभागों/अनुभागों/एककों के अध्यक्षगण

5. प्रभारी-आचार्य, सीआरएचएसपी बल्लभगढ़/एनडीडीटीसी गाजियाबाद
6. वरिष्ठ वित्त सलाहकार/वित्त सलाहकार
7. सभी वरिष्ठ प्रशा. अधिकारीगण/प्रशा. अधिकारीगण/ सहायक प्रशा. अधिकारीगण
8. अध्यक्ष, ऑफिसर्स एसोसिएशन, एम्स नर्सिस यूनियन, कर्मचारी यूनियन
9. सभी सूचनापट्ट

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक, एम्स के प्रधान निजी सचिव/उप निदेशक (प्रशा.) के निजी सचिव
2. कंप्यूटर सुविधा- इस सूचना को संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित।

कैडर समीक्षा के लिए प्रस्ताव जमा करने हेतु प्रोफार्मा

क्र. सं.	कैडर की वर्तमान संरचना		कैडर की संशोधित / प्रस्तावित संरचना		कैडर/स्वीकृत संख्या के संशोधन हेतु कार्यात्मक औचित्य	क्या वर्तमान में कार्यात्मक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मौजूदा अनिवार्य योग्यता/अनुभव में संशोधन की आवश्यकता है? यदि हां तो उसका कारण/औचित्य	क्या पदों का नाम बदलने की आवश्यकता है, यदि ऐसा है, तो उसके कारण / औचित्य
1	पदों के नाम	पदों की संख्या	पदों के नाम	पदों की संख्या			